



माहेश्वरी प्रगति मण्डल

माहेश्वरी भवन, 603, जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, गिरगांव, मम्बई - 400 002.

फोन : 2200 5026 / 27 / 28

Website : www.mumbaimaheshwari.com • E-mail: info@mpmmumbai.in

पासपोर्ट
साईज फोटो

आजीवन सदस्यता के लिए आवेदन पत्र

(मण्डल विधान की धारा 3.3 (a) के अन्तर्गत)

(कृपया आवेदन पत्र हिन्दी में भरें एवं टे.नं., मो.नं., पिन कोड नं. आदि की जानकारी अंग्रेजी अंक में लिखें।)

दिनांक _____

मंत्री महोदय,

मैं माहेश्वरी प्रगति मण्डल का आजीवन सदस्य बनना चाहता / चाहती हूँ। मैं मण्डल के नियमों के पालन का वचन देता / देती हूँ। मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैं माहेश्वरी हूँ तथा मेरी उम्र 18 वर्ष एवम् उससे अधिक है।

आवेदक का नाम _____ जाति (साख) _____ जन्म तारीख _____

पिता / पति का नाम _____ व्यवसाय _____

पता निवास _____

(निवास के पते की पुष्टि हेतु नियम क्रमांक 6 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

पता व्यवसाय _____

दूरध्वनि : नि. _____ का. _____ फैक्स _____

मोबाईल _____ ई-मेल _____

मैंने अपनी आजीवन सदस्यता शुल्क के रु. _____ नकद / का चेक क्रमांक _____

श्री / श्रीमती / कुमारी _____ को दिनांक _____ को दिया है /

मण्डल कार्यालय में जमा करा दिया है।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तावक का नाम _____ प्रस्तावक की सदस्य संख्या _____

* कार्यालय के उपयोग हेतु *

शुल्क प्राप्ति तारीख _____ शुल्क प्राप्त कर्ता (हस्ताक्षर) _____

मण्डल की व्यवस्थापिका सभा बैठक संख्या _____ दिनांक _____ में इस सदस्यता आवेदन पत्र को

स्वीकार / अस्वीकार किया गया।

सदस्य संख्या : _____ रसीद नं. _____ दिनांक _____

मंत्री

अध्यक्ष

कृपया पृष्ठ पलटियें।

● सदस्य बनने के लिये नियम ●

1. माहेश्वरी जाति का कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो मुम्बई महानगर क्षेत्र एवम् मीरा रोड क्षेत्र में निवास करने वाला हो एवम् जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मण्डल का सदस्य बन सकता है।
2. आजीवन सदस्यता राशि रु. 1180/ नगद / चेक 'माहेश्वरी प्रगति मण्डल' (Maheshwari Pragati Mandal) के नाम से इस आवेदन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है।
3. सदस्यता के लिये आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता एवम् प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी निर्धारित स्थान पर होना आवश्यक है। केवल मण्डल का सदस्य ही प्रस्तावक हो सकता है।
4. मण्डल से तात्पर्य, **माहेश्वरी प्रगति मण्डल-मुम्बई** से है।
5. आपका पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो इस फार्म के निर्धारित स्थान पर लगावें।
6. पते की पुष्टि हेतु, जिसमें आपका नाम हो, **राशन कार्ड / इलेक्शन कार्ड / पासपोर्ट / बिजली बिल / महानगर गैस बिल / आधार कार्ड** में से किसी एक की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
7. अपने परिवर्तित पते की सूचना मण्डल कार्यालय में लिखित रूप में समय पर अविलम्ब भिजवायें, जिससे आवश्यक सूचनायें/सामग्री/सरसवाणी आदि आपको समय पर सुचारु रूप से प्राप्त हो सके।

- मंत्री